संख्याः- 7/2019/1118/अड़तीस-7-19-2054एलसी/2018

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 13 मई, 2019

विषयः- मनरेगा एवं अन्य योजनाओं का उपयोग अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना किये जाने के संबध में।

महोदय,

प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी निकायों(यथा- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन विषयक पशुधन अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-4324/37-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश में मुख्य सचिव, महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश (नर/मादा) पशुओं की समस्या के निराकरण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं को समेकित करते हुए समेकित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना एवं संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

3- उक्त प्रख्यापित नीति में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत इस हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या12/2018/644/38-7-2018-100नरेगा/2017, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

क्र0सं0	कार्य	कार्यवाही
3.8.2 (क)	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की भूमि को उपयोग योग्य बनाना 1- ऊसर, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना 2- भूमि समतलीकरण करना 3- जल संरक्षण कार्य/तालाब निर्माण 4- खाई निर्माण (प्राकृतिक बाड़)	मनरेगा योजना की मार्ग-निर्देशिका के अनुबन्ध-36 के अनुसार मनरेगा एवं डेरी तथा पशुपालन विभाग के मध्य कन्वर्जेन्स के अंतर्गत भूमि समतलीकरण, चारे हेतु घास का रोपण, पशुओं के प्रयोग हेतु तालाब की खुदाई, वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित किया जाये।
3.8.2 (ख)	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर वृक्षारोपण	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर-सर्कुलर-2018-19 के पैरा-7.6.8 के अनुसार वृक्षारोपण अनुमन्य कार्य श्रेणी सम्मिलित है। अतः अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित किया जाये।

उक्त कार्यों के बेहतर प्रबन्धन के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत अन्य विभागीय योजनाओं यथा-14वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग, वन विभाग, उद्यान विभाग, पशु पालन विभाग, कृषि विभाग इत्यादि के मध्य कन्वर्जेन्स किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अतः आपसे अपेक्षित है कि कृपया अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्थलों पर चिन्हित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना हेतु उपरोक्तानुसार बिना किसी विलम्ब के तत्काल अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की साप्ताहिक सूचना अपर आयुक्त मनरेगा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्याः- 7/2019/1118(1)/अड़तीस-7-2019 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग एवं कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. अपर आयुक्त,मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. निदेशक पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0।
5. निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,उ0प्र0।
6. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।